कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 108 /33 सी दिनांक 10 /01 /2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

सन्दर्भ :– ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 12.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव दिनांक 19 अगस्त 2017 को ऑन लाईन किया गया है। जिसमे लगी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	Some other document uploaded in place of alternative examined at para D(D) a online Part-I	alternative रोड़ को नीले रंग से दर्शाया गया है। जो सही है।
2	In VLC proceedings of village Bainjwari name of village Nakhari mentioned in last para. Also VLC of village Poth not submitted.	नैखरी तथा पोथ कोई ग्राम सभा नहीं है यह ग्राम ग्राम सभा बैंजवाड़ी के अन्तर्गत आते है।
3	As per DSS report. Area calculation of CA proposed is 6-40 ha. Instead of 3.745 ha.	प्रस्ताव में वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.8725 हे0 है जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुना कर दिये जाने पर 3.7450 हे0 आ जाता है। तथा कहीं पर भी 6.40 हे0 का उल्लेख नहीं किया गया है।
4	CA area name mentioned in Part-II para 13 is Bainjwari. Thati however in CA scheme it is mentioned Kothar (Dagar)	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सम्बन्धित है।
5	NPV calculation sheet submitted in hard copy is incorrect.	एन0पी0बी0 कैलकुलेशन सही कर अपलोड़ तथा हार्ड कॉपी में प्रेषित किया जा रहा है।
6	The number of trees affected are mentioned as 70 in hard copy. Where as it is mentioned as 69 as per enumeration list uploaded in part-II	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सम्बन्धित है।
7	Four sites mentioned for muck dumping in muck dumping plan but same is not mentioned as para B-2 Onine Part-I	मलवा निस्तारण में ली जाने वाली भूमि मलवा निस्तरण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व में ही रहेगी जिस कारण मलवा निस्तारण में ली जानी वाली भूमि को कम्पोनन्ट वाईज ब्रेकअप में नहीं लिया गया था। भारत सरकार द्वारा काश्तकारों के स्वामित्व वाली भूमि में मक ड़म्पिंग एरिया को कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में जोड़ने हेतु आपत्ति लगाई गई है परन्तु ऑन लाईन प्रक्रिया में वन भूमि तथा नाप भूमि के क्षेत्रफल का कॉलम लॉक हो गया है, जिस कारण एरिया को संशोधित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः ऑन लाईन के प्रारूप के भाग–। के बिन्दु B-2.4 को ऑफ लाईन बनाकर संलग्न किया जा रहा है, तथा ऑफ लाईन प्रारूप को एड़िशनल कॉलम में Component wise breakup नाम से अपलोड़ कर दिया गया है। (संलग्न प्रारूप)
8	Following documents have not been found uploaded in web portal. **1-** CA scheme. **2-** CA site suitability certificate. **3-** Work not start certificate. **4-** Bar chart. **5-** Geologist report. **6-** Joint inspection report.	अपलोड़ कर दिया गया है।
9	Signed copy of Part-I,II,IV,V and muck disposal plant not found in hard copy.	प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

1. N.P.V.
2. ऑफ लाइन Muck dumping प्रारूप Component wise breakup

10/1/19

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

9/1/19

प्रारुप–50

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी-V
2. हरियाली का घनत्व – 0.30 open forest
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 – 657000.0 प्रति हे0
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल = 1.8725 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि = 1230232.50

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रारूप :– 42

10 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

1. परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।
2. क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम – ग्राम- खातीडगार तहसील देवप्रयाग
3. क्षेत्रफल – 3.745 है0
4. जिस विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाना है – नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती
5. रोपित की जाने वाले पौधौ की संख्या – 2000 पौधा प्रति हे0

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रू0)	योग
1	सर्वे व सीमांकन	है0	1	126.00	126.00
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि)	है0	1	3775.00	3775.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी कार्य (फेसिन्ग कार्य) 84 घ0 मी0 औसत 150.00 x (0.60+0.45) / 2X1.20=94.50	प्रति घ0 मी0	94.5	302.00	28539.00
4	मृदा एवं जल संग्रहण हेतु कच्चे खाल बनाना	L.S.	-	23000.0	23000.0
5	गड़ढ़ा खुदान (0.30X0.30X0.45)	नं0	2000	7.93	15860.0
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति रन मी0	1	940.00	940.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	नं0	2000	6.75	13500.00
	योग :–				85740.0

द्वितीय चरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रू0)	योग
1	गड्ढा भरान (0.30x0.30x0.45)	प्रति गढ्ढ़ा	2000.00	1.42	2840.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	2000.00	2.25	4500.00
3	पौध ढुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगी जड़ तथा 75 प्रतिशत जड तथा 25 कि0मी0 वाहन पर @Rs7.00/Km/%=7.00x25x2000/100 =1.75	प्रति पौध	2000.00	4.68	9360.00
	व 3 कि0मी0 सिर बौझ औसत पर) @Rs124.00 /Km/%=124.00x3x2000/100 =3.72	प्रति पौध	2000.00	5.64	11280.00
			पौध ढुलान कार्य		
4	पौध रोपण एवं थाला बन्दी	प्रति पौध	2000.00	2.85	5700.00
5	निराई गुड़ाई व मलचिंग (दो बार) प्रथम बार Rs 1.57 द्वितीय बार / Rs 0.78= Rs 2.35	प्रति पौध	2000.00	1.26	2520.00
6	खाद व दवा का व्यय	प्रति गढ्ढ़ा	2000.00	0.50	1000.00
7	देख रेख व रख राव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 10 है0 पर)	प्रति है0	1.00	3081.00	3081.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखी घास फूंस एवं ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	प्रति है0	1.00	408.00	408.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्रति मी0	1.00	408.00	408.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियो/समितियों को प्रोत्साहन देना।	प्रति मी0			
	अ– प्रशिक्षण		1.00	627.00	627.00
	ब– प्रोत्साहन		1.00	313.00	313.00
9	अन्य व्यय साईन बोड़ पौध ढुलान हेतु टाकेरी सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय, वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड़ स्थरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं ड़ाक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	प्रति है0	1.00	1206.00	1206.00
10	मृदा एवं जल संवर्द्धन कार्य	प्रति है0	1.00	4401.00	4401.00
	कुल योग द्वितीय चरण				52704.00

तृतीय चरण रोपण के बाद प्रथम वर्ष

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रू0)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य व 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति है0	1.00	8244.00	8244.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखी घास फूंस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्रति है0	1.00	408.00	408.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बार 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्रति मी0	1.00	408.00	408.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ– प्रशिक्षण			L.S.	627.00
	ब– प्रोत्साहन			L.S.	313.00
	योग तृतीय चरण				10000.00

चतुर्थ चरण रोपण के बाद द्वितीय वर्ष

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रू0)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य व 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति है0	1.00	8244.00	8244.00
2	तृतीय चरण के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	816.00	816.00
	योग चतुर्थ चरण				9060.00

पंचम चरण रोपण के बाद तृतीय वर्ष

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रू0)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य व 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति है0	1.00	8244.00	8244.00
2	चतुर्थ चरण के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है0	1.00	816.00	816.00
	योग पंचम चरण				9060.00

पंचम चरण रोपण के बाद तृतीय वर्ष

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रू0)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष के बाद 20 प्रतिशत पौधों का पुनः रोपण (प्रथम चरण की लागत का 20 प्रतिशत)	प्रति है0	लागत का 20 प्रतिशत	69380x20/100	13876.00
2	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष के बाद 20 प्रतिशत पौधों का पुनः रोपण (द्वितीय चरण की लागत का 20 प्रतिशत)	प्रति है0	लागत का 20 प्रतिशत	52704x20/100	10540.80
	योग पंचम चरण				24416.80

रोपण के बाद चतुर्थ वर्ष

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रू0)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष से 10 वर्ष तक रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य – 7 वर्ष (कम से कम 10 है0 आधार मानकर) 1X7	प्रति है0	7	9060.00	63420.00
	योग				63420.00

वन क्षेत्राधिकारी
मणिक नाथ रेंज
ड़ांगचौरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती टि0ग0

10 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	85740.0
2	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)	52704.00
3	तृतीय चरण (रख रखाव कार्य रोपण के बाद प्रथम वर्ष)	10000.00
4	चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य रोपण के बाद द्वितीय वर्ष)	9060.00
5	पंचम चरण (रख रखाव कार्य रोपण के बाद तृतीय वर्ष)	9060.00
	पंचम चरण के बाद 20 प्रतिशत पौधो का पुनः रोपण	24416.80
	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष से 10 वर्ष तक रख रखाव व अनुरक्षण कार्य – 7 वर्ष	63420.00
	कुल व्यय रूपये	254400.80
	योग :–	254400.80

सिलिंग के अनुसार देय 1.8725है0 X 2 =3.745 है0 @ 254400.80प्रति है0 = 1228752.0 SAY = 1228752.0

वन क्षेत्राधिकारी
मणिक नाथ रेंज
डांगचौरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती टि0ग0

प्रारुप–43

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वक्षारोपण हेतु ग्राम थाती डागर तहसील कीर्तिनगर जिला – टिहरी गढवाल की सिविल सोयम स्थल जो सलग्न मानचित्र मे दर्शाया गया , वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
मुनिकीरेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रारुप–18

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अस्थाई अध्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उपवन प्रभाग
नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती

परियोजना विवरण :— जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

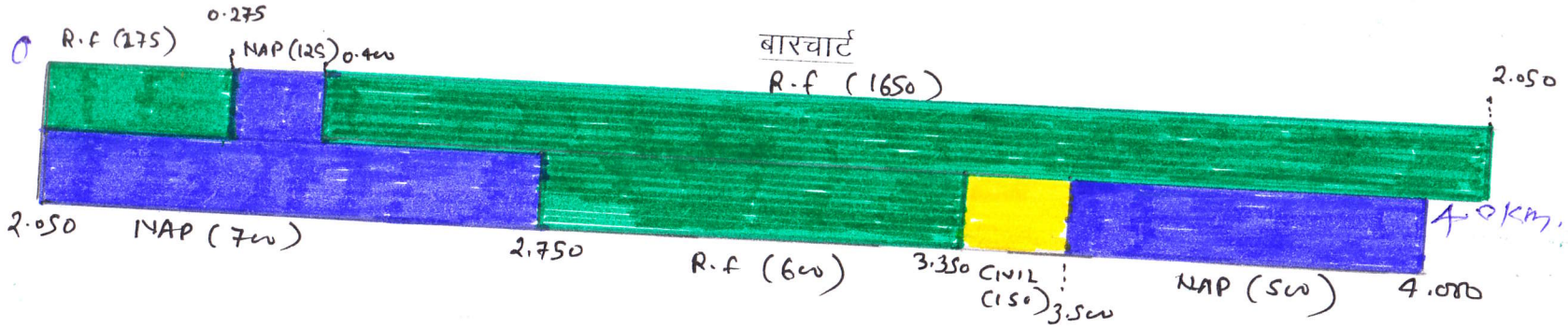

Scale 1cm = 10m

सांकेतिक तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग
आरक्षित वन भूमि	
सिविल सोयम भूमि	
वन पंचायत भूमि	
संरक्षित वन भूमि	
नाप भूमि	

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज,
उत्तरकाशी

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उपखण्ड प्रभाग नरेन्द्रनगर
मुनिकीरेती

प्रारुप–33

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

भू–वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की गई है।)

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

24/04/17
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

64

(2)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

निरीक्षण आख्या एस0जी0– 991 / सड़क / पुल सम्रेखण / गढ़वाल / 2016

Geological Assessment of 4 km long alignment corridor proposed for the construction of Khajra-Bainjwadi km 4 to Barsila-Paudh-Manjuli motor road, Distt. Tehri Garhwal, Uttarakhand

03-06-2016

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता–
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

(8)

...ological Assessment of 4 km long alignment corridor proposed for the ...nstruction of Khajra-Bainjwadi km 4 to Barsila- Paudh-Manjuli motor road, Distt. Tehri Garhwal, Uttarakhand

Vijay Dangwal

03.06.2016

...roduction:- The Temporary Division, PWD Kirtinagar vide G.O. No. ...70/III(2)/13-40(प्रा०आ०)/2013 दिनांक 14.12.13 has been entrusted for the 4.00 km long extension of the existing Khajra-Bainjwadi motor road in Kirtinagar Block, Distt. Tehri Garhwal. On the request ...de by Shri. B.P. Nautiyal, Exeuctive Engineer I carried out the geological assessment of the ...osed alignment of the this road on 01.06.2016. Er. J. N. Patwal, Astt. Engineer and Er. Lalit ... J.r. Engineer were present during the site visit.

...cation:- The proposed alignment corridor of the above said motor road originates from km ... HM 8-10 of the existing Khajra-Bainjwadi motor road located in Kirtinagar Block, Distt. Tehri Garhwal. The alignment contains 05 HP Bends and it passes throught the land Tilted-Naap, Civil ...yam and Reserved Forest.

...logical Assessment:- Geologically the area containing this alignment corridor falls in ... Garhwal Lesser Himalayan Belt bounded between the Main Central Thrust and the Main ...ndary Thrust. The area is represented by the phyllites of Chandpur Formation. The terrain ...ntaining this alignment is characterised by the hill slopes inclined between 15^0 to 50^0 angle and it is rugged and dissected features. Largely the cross slopes containing this alignment are covered by ...he thick sheet of overburden material and the bed rocks are underlained by it. However, isolated ...rops of phyllites were also encountered in between of the alignment corridor. The rock masses ... the surface are slightly weathered, weak, compact and jointed in nature. The rocks are ...ed by many linear joint sets. The joint surfaces are tight, linear and occasionally sealed by ...ondary inclusions.

Mostly the alignment passes across the hill slopes comprised of the overburden material. This material contains small rock fragments embedded in the silty clayey matrix. The slope forming soils are good cohesive and contains good amount of clay minerals. This slope forming material is naturally dense, hard and compact and it do not contain any soft/dispersive ...ils. The soils exposed on the naturally consolidated, hard and compact.

By and large the alignment slope are stable and do not manifest signatures related to the ground deformation/land sliding. Nowhere the signatures like the development of sink/pot holes were encountered.

सहायक अभियन्ता-
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

On the basis of above geological inspection, study carried at the site following ...mendations are being made for the construction of the proposed motor road failing to ...se recommendations this report will be treated automatically as cancelled.

...mmendations:

... the road by half cut and half fill technique and compact the fill material by dynamic ...paction.

... not throw the excavated waste on the lower slopes.

... in order to maintain the overall stability of the hill slopes and the road construct suitably ...signed retaining walls/ brest walls all along the road.

...nstruct large hill side lined/concrete drain all along the road and make adequate cross drainage ...angements.

...ke adequate arrangements to dispose the waste water on the safe/ stable ground.

... the construction activity must be carried out as per the Indian standards codes of practice and ...orms prescribed by the BIS.

...usion: On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the ...ecommendations, the site was found suitable for the 4.00 km long extension of the existing ...-Bainjwadi motor road in Kirtinagar Block, Distt. Tehri Garhwal.

31.6.16

(Vijay Dangwal)
Senior Geologist
Office of the Engineer in Chief
UK, PWD (Dehradun)

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

6)

प्रारुप–34

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/ संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

प्रारुप–35

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads, these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियॉ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।	मु0 कीर्तिनगर।	मु0 कीर्तिनगर।

2/10/17

प्रारुप–36

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बररीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1 वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2 प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4 वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5 प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

6 परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।

7 हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8 बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9 सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11 सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 का सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12 प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13 वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14 हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15 वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नही किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16 यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17 उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

प्रारूप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाडी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पौथ मुजली तक मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई– 4.00 कि0मी0

आज दिनाँक 15.09.2016 को वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग के द्वारा कि0मी0 4.00 से कि0मी0 8.00 तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सत्य प्रकाश कोठारी वन दरोगा, सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ललित गैड़ी कनिष्ठ अभियन्ता अन्य दावेदारों की ओर से प्रधान तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में क्षेत्र पंचायत के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृश्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1325 (मी0) नाप भूमि से, 150 (मी0) सिविल भूमि से,0.000(मी0) वन पंचायत से, 2525 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.9725 हे0 नाप भूमि.0.1050 हे0 सिविल भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, 1.7675 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.8725 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग 116 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 67 बांज प्रजाति के प्रभावित होगा । वृक्षों की सूची मूल्यांकन सहित प्रस्ताव पर संलग्न है।

इस समरेखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 800 (मी0) नाप भूमि से, 150 (मी0) सिविल भूमि से, शून्य (मी0) वन पंचायत से, 3050 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.560 हे0 नाप भूमि, 0.1050 हे0 सिविल भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, 2.135 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.2400 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवयकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 127 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 72. बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन 9–ब एवं 9–अ कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 15 प्रतिशत है एवं इन कक्षों में 10 प्रजाति के वन हैं।

प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.9275 हे0 पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर **चीड़, खड़ीक, तुन, जामुन, बांज, मेहल, कुकाट आदि** प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 15 % है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान **78°.44'52.181"E, 30°.20'14.394"N** है। तथा यह स्थल **खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग** के कि0मी0 04, के हे0मी0 8 से 10 (प्रारम्भिक बिन्दु) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल का GPS मान **78°42'39.290"E, 30°20'29.081"N** है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान **संलग्न** हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 04 नं0 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान निम्न हैं।

अन्य आवश्यक विवरण

(1)	78°42'52.023" E,	30°20'14.053" N
(2)	78°42'55.073" E,	30°20'09.294" N
(3)	78°42'56.010" E,	30°20'11.953" N
(4)	78°42'35.626" E,	30°20'24.976" N

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
उपजिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी

तहसीलदार
कीर्तिनगर (टि0 ग0)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उपप्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

परियोजना विवरणः– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

Para B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup							
Sl. No.	Component	Length of Forest Land (in Km.)	Width of Forest Land (in Km.)	Forest Land (in ha.)	Length of Non Forest Land (in Km.)	Width of Non Forest Land (in Km.)	Non Forest Land (in ha.)
1	Road	2.675	0.007	1.8725	1.1325	0.007	0.9275
2	Muck Disposal Point No.-1	-	-	-	0.035	0.015	0.0525
3	Muck Disposal Point No.-2	-	-	-	0.020	0.012	0.0240
4	Muck Disposal Point No.-3	-	-	-	0.030	0.018	0.0540
5	Muck Disposal Point No.-4	-	-	-	0.022	0.016	0.0352
	Total			1.8725			1.0932

नोट– मलवा निस्तारण में ली जाने वाली भूमि, मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व में ही रहेगी। अतः मलवा निस्तारण में ली जानी वाली भूमि को कम्पोनन्ट वाईज ब्रेकअप में नहीं लिया गया था। भारत सरकार द्वारा मक ड़म्पिंग एरिया को कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में जोड़ने हेतु आपत्ति लगाई गई है परन्तु ऑन लाईन प्रक्रिया में वन भूमि तथा नाप भूमि के क्षेत्रफल वाला कॉलम वर्तमान में लॉक हो गया है, जिस कारणएरिया को कम्पोनन्ट वाईज ब्रेकअप में संशोधित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः ऑन लाईन के प्रारूप के भाग–। के बिन्दु B-2.4 को ऑफ लाईन बनाकर संलग्न किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
P.W.D. Kirtinagar